न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :–महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
521/2015	01.01.2015	04.12.2024

उनवान

1. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री जयदयाल जाति चमार निवासी ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड (राज0)

:–वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़
3. प्रेमचन्द पुत्र बनवारीलाल .....मृतक

3/1 श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व. विरेन्द्र
3/2 तैजवीर पुत्र स्वं विरेन्द्र
3/3 विजय पुत्र स्व. विरेन्द्र
3/4 पवन पुत्र स्व. विरेन्द्र जातियान चमार निवासीयान गिगलाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़

..... **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितीः– 1 श्री अजयपाल सिंह चौहान एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से जवाब दावा व प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि साबिक ख0न0 1501/1249 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम गिगलाना दिनांक 30.09.1975 को भूमिहीन होने के कारण अलोट की गई थी। बाद अलोट नियमानुसार वादी को मौके पर दखल दिया जाकर कब्जा दिया गया था जिसका पट्टा संख्या 6136 जारी किया गया था पट्टे के आधार पर मिन वादी के पक्ष में इन्तकाल संख्या 242 गैर खातेदारी का दर्ज होकर अमल जमाबन्दी संवत 2034 में हो गया था। हाल बन्दोबस्त संवत 2042 में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी जॉच के वादी को अलोट सुदा ख0न0 1501/1249 रकबा 3 बीघा में से हाल रिकॉर्ड के आधार पर 49 ऐयर भूमि को हाल ख0न0 1839 रकबा 0.64 में मिलाकर उसका रकबा प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी में दर्ज कर दिया व शेष 26 ऐयर हाल ख0न0 1856 में मिलाकर रकबा 5.76 सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि आवंटन के आधार पर वादी को 75 ऐयर भूमि का खातेदार दर्ज करना चाहिए था लेकिन मिन वादीकी खातेदारी को कलमजन कर गलत इन्द्राज कर दिया जिसका भू0प्रबन्धक विभाग को कोई अधिकार नहीं था। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी मिन वादी को जब हुई जब वादी ने किसान केडिर्ड कार्ड बनवाने के लिए जमावन्दी की नकल ली जब पटवारी हल्का ने बताया कि भूमि आपके नाम दर्ज नहीं है उसके पश्चात मिन वादी ने पुराना रिकॉर्ड एकत्र किया रिकॉर्ड एकत्र होने पर बिना किसी देरी के वाद पेश किया जा रहा है।

अन्तः में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिकी किए जाने की प्रार्थना की हैः–

(क) डिकी इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज वहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की जारी की जावे कि हाल आ0ख0न0 1839 रकवा 64 ऐयर वाके ग्राम गिगलाना में से 49 ऐयर भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर उसका अलग से मिन नम्बर कायम कर उसका खातेदार मिन वादी को व हाल ख0न0 1856 रकबा 5.76 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

गिगलाना में से 26 ऐयर रकबा कम किया जाकर उसका अलग से मिन नम्बर कायम कर इसका खातेदार मिन वादी को घोषित किया जावे। व इसी प्रकार से कुल 75 ऐयर का खातेदार काश्तकार मिन वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खसरा गिरधावरी में अंकन कराया जावे।
(ख) डिकी हुक्म ईम्तनाई दवामी जारी कर प्रतिवादीगण को पावन्द किया जावे कि वो आराजी विवादित के गलत इन्द्राज के आधार पर दिगर जगह रहन बय हिब्बा नहीं करें ना ही मिन वादी को जबरन बेदखल करें मिन वादी के काश्तकार्य में किसी प्रकार बाधा पैदा ना करे।
(ग) खर्चा मूकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1,2 से दिलवाया जावे।
(घ) अन्य अनुतोष जो श्रीमान जी उचित समझे सादीर अता फरमाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया कि ख0न0 1501/1249 रकबा 3 बीघा दिनांक 30.09.1975 को आवंटित होना इन्तकाल संख्या 242 संवत 2034 में गैर खातेदारी में दर्ज है। वादी इन्द्राज दुरूस्ती कराना चाहता है वादी की आराजी 0.75 दर्ज होनी चाहिए थी जो 0.49 दर्ज होकर 0.26 भूमि सिवायचक दर्ज मौके पर दर्ज हुई है सही है चूकि मौके पर वादी का कब्जा नहीं था अब वादी 0.36 भूमि अपने खाते में दर्ज करना चाहता है जो नामुमकिन है। वादी को बरवक्त सेटलमेन्ट द्वारा दिये गऐ नोटिस (सूचना पत्र) मिलने पर अपनी आराजी की पैमाइश करवाकर दुरूस्ती करवानी चाहिए थी वादी का आवंटित पूर्ण आराजी पर कब्जा नहीं होने से सेटलमेन्ट वाला का इन्द्राज दुरूस्त है अतः वादी का वाद खारीज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पैरोकार सरकार का जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। साक्ष्य में वादी ने स्वंय का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 व गोपीराम पुत्र रामकवार जाति जाट का शपथ पत्र पी. डब्ल्यू 2 एवं लालाराम पुत्र झब्बूराम का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 3 पेश किए है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में आवंटन पट्टा प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी संवत 2061–64 प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी संवत 2061–64 प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी संवत 2034 प्रदर्श 4 व 5 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 नकल इन्तकाल संख्या 242 प्रदर्श 7 नकल साबिक नक्शा ट्रैस प्रदर्श 8 नकल नक्शा ट्रैस हाल प्रदर्श 9 नकल नोटिस धारा 80 जा0दी0 प्रदर्श 10 पेश किए है।

वकील वादी की ओर से लिखित बहस पेश की गई एवं वकील वादी की मौखिक बहस भी सुनी गई। हमने लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार से हैः–
तनकी नम्बर–1. आया वादी को दिनांक 30.09.1975 को आ0ख0न0 1501/1249 रकबा 3 बीघा भूमि ग्राम गिगलाना में भूमिहीन होने के कारण आवंटित की गई थी ? इस तनकी का बार वादी प्रथा वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन पट्टा प्रदर्श 1 के अवलोकन से साबित है कि वादी को ग्राम गिगलाना में ख0न0 1249 में से रकबा 3 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
तनकी नम्बर–2. आया वादी के हक में इन्तकाल नम्बर 242 ग्राम गिगलाना बाबत गैर खातेदारी दर्ज कर दिया गया था ? इस तनकी का बार भी वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल इन्तकाल संख्या 242 प्रदर्श 7 के अवलोकन से साबित है कि वादी को भूमि अलोट होने के पश्चात उसके हक में गैर खातेदारी का इन्तकाल दर्ज होकर दिनांक 28.11.1975 को मन्जूर हुआ था। यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
तनकी नम्बर–3. आया आ0ख0न0 1839 रकबा 64 ऐयर वाके ग्राम गिगलाना से 49 ऐयर भूमि से प्रतिवादी नम्बर 3 का दाम कलमजन कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे ? इस तनकी का बार वादी पर था। वादी ने अपने वाद पत्र में साबिक ख0न0 1501/1249 रकबा 3 बीघा को विवादित बताया है जबकि वादी द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 6 पेश किया गया है उसमें सावित ख0न0 1501/1249 का अंकन नहीं है यानी वादी द्वारा सावित ख0न0 1501/1249 का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है जिसके अभाव में यह सावित नहीं होता है कि वादी को अलोट साबिक ख0न0 1501/1249 के हाल ख0न0 कौनसा बना है और व किसकी खातेदारी में अंकन किया है स्पष्ट नहीं होता है। वादी का कथन है कि उसका अलोट सुदा रकबा हाल ख0न0 1839 में व 1856 में शामिल किया गया हैं प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल ख0न0 1839 साबिक ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

1500/1249 रकबा 3 बीघा से कायम किया जाना अंकित है। जिससे साबित है कि हाल ख0न0 1839 का रकबा भी साबिक रिकॉर्ड के अनुसार कम दर्ज किया गया है एवं हाल ख0न0 1856 का वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है। हाल ख0न0 1856/0.76 जमाबन्दी संवत 2061–64 के अनुसार चारागाह भूमि है जो भूमि प्रतिबन्धीत श्रेणी है वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नक्शा ट्रैस प्रदर्श 8 व 9 के अवलोकन से भी वादी के वाद की पुष्टि नहीं होती है। यह तथ्य सही है कि वादी को साबिक नम्बर में से भूमि अलोट तो हुई थी परन्तु वादी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा तथा वादी/अलोटी द्वारा आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया जाना ही साबित होता है। यदि वादी का मौके पर कब्जा होता तो भू0प्रबन्धक विभाग द्वारा उसके नाम का अंकन अवश्य ही किया जाता। इस प्रकार इस तनकी को वादी सिद्व करने में असफल रहा है। यह तनकी विरूद्व वादी तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचनानुसार वादी अपने वाद को सिद्व करने में असफल रहा है। वाद वादी खारीज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188,189 आर.टी.एक्ट बाबत आराजी ख0न0 1839,1856 वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना वाद सिद्व नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है खर्चा वाद वादी स्वंय वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :–महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
521/2015	01.01.2015	04.12.2024

उनवान

1. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री जयदयाल जाति चमार निवासी ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड (राज0)

:–वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़
3. प्रेमचन्द पुत्र बनवारीलाल .....मृतक

3/1 श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व. विरेन्द्र
3/2 तैजवीर पुत्र स्वं विरेन्द्र
3/3 विजय पुत्र स्व. विरेन्द्र
3/4 पवन पुत्र स्व. विरेन्द्र जातियान चमार निवासीयान गिगलाना तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़

..... **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितीः– 1 श्री अजयपाल सिंह चौहान एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से जवाब दावा व प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक 04.12.2024 **–:पर्चा डिकीः–**

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188,189 आर.टी.एक्ट बाबत आराजी ख0न0 1839,1856 वाके ग्राम गिगलाना तह0 नीमराना वाद सिद्व नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है खर्चा वाद वादी स्वंय वहन करेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना